<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218645 CG-DL-E-13032020-218645

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 980]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फालान 23, 1941

No. 980] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1087(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड 19 प्रबंधन के लिए) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 कहा जाएगा।
 - (2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, अनुसूची में, क्रम संख्या (7) के पश्चात् निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा, नामतः—
 - "(8) मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर"।
- 3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26(1)/2020-ईसीआरएंडई] अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

1435 GI/2020 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2020

- **S.O. 1087(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2A, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, quality, distribution, logistics of masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers (for COVID 19 management) namely:—
- 1. (1) This order may be called the Essential Commodities Order, 2020.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Essential Commodities Act, 1955, in the Schedule, after serial No. (7), the following item shall be added, namely:—
 - "(8) masks (2ply & 3ply surgical masks, N95 masks) & hand sanitizers".
- 3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 26(1)/2020-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser